अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ

डीजी परिपत्र संख्या- 66 /2016 दिनांकःलखनऊःनवम्बर 12 ,2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-22581/2016 श्रीमती कुसुमा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनॉक 8-11-2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में दिनॉक 26-10-2016 को अपराध संख्या-437/2016 धारा 354/427/323 भा0द0वि0 एवं धारा 8 पास्को एक्ट तथा धारा 3(1)(2) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट कोतवाली नगर जनपद बॉदा के विवेचक को मा0 उच्च न्यायालय में समस्त केस डायरी सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हेने के निर्देश दिये गये थे परन्तु विवेचक नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दिनॉक 21-11-2016 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मा0 न्यायालय को सहयोग एवं सुझाव दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

2- आप सभी भली भॉति अवगत हैं कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में भी कतिपय प्रकरणों पर समय से प्रतिशपथ पत्र/सूचनाऐं प्रेषित न करने तथा विवेचकों एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को मा0 उच्च न्यायालय में निर्देश दिये जाने के उपरॉत भी उपस्थित न होने के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है । इस मुख्यालय स्तर से भी आपको समय-समय पर निम्न परिपत्रों/निर्देशों के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं:-

क्र0सं0	परिपत्र/निर्देश संख्या व दिनॉक	विषय
1	परिपत्र संख्या-05/2015 दिनॉक 17-1-2015	मा0 न्यायालयों में भ्रामक/असत्य सूचनाऐं कदापि प्रेषित न किये जाने के सम्बन्ध में ।
2	डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-108/2014 दिनॉक 20-3-2015	मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के आदेश जो सम्बन्धित प्रकरण के साथ-साथ जनसामान्य पर भी लागू होने हों उन्हें इस मुख्यालय को संदर्भित कर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में ।
2	परिपत्र संख्या-24/2015 दिनॉक 15-4-2015	निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना प्रेषित करने, अभियुक्तों/गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने तथा मालखानों का रख-रखाव उचित प्रकार से कराये जाने के समबन्ध में ।
3	परिपत्र संख्या-23/2015 दिनॉक	जिस प्रकरणों में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी

		10-4-2015	अभियुक्त/गवाह होते हैं उनमें उनकी उपस्थिति समय से मा0 न्यायालय में कराये जाने के सम्बन्ध में ।
3		परिपत्र संख्या-34/2015 दिनॉक 13-5-2016	जिस अधिकारी/कर्मचारी को मा0 न्यायालय में उपस्थित होने हेतु कहा जाय वह अधिकारी ही समय से मा0 न्यायालय में उपस्थित हो उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को न भेजने के सम्बन्ध में ।
4		परिपत्र संख्या-39/2015 दिनॉक 25-5-2015	पुन परिपत्र संख्या-34 के क्रम में निर्देश ।
5		परिपत्र संख्या-70/2015 दिनॉक 20-10-2015	विचाराधीन अभियोगों में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय से निर्गत प्रोसेस के मूवमेंट एवं तामीला की समीक्षा के सम्बन्ध में ।
6		परिपत्र संख्या-24/2016 दिनॉक 5-5-2016	पुलिस रिपोर्ट मा0 न्यायालय में चार सप्ताह के भीतर दाखिल करने के सम्बन्ध में ।
7		परिपत्र संख्या-50/2016 दिनॉक 17-8-2016	प्रतिशपथ पत्र समय से दाखिल करने तथा तथ्यात्मक एवं स्पष्ट प्रस्तरवार आख्याएँ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।
8		परिपत्र संख्या-64/2016 दिनॉक 5-11-2016	मा0 न्यायालयों में पूर्ण, तथ्यपरक एवं स्पष्ट आख्याएँ/प्रतिशपथ पत्र पूर्ण परीक्षणोपरॉत ही दाखिल करने के सम्बन्ध में ।

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना अवमानना की श्रेणी में आता है तथा जो भी अधिकारी/कर्मचारी मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करेगा वह व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी होगा । मा0 उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु आप सभी को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

(1)प्रत्येक जनपद में न्यायालय सम्बन्धी कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु एक नोडल अधिकारी जो अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का हो नियुक्त किया जाय ।

(2)नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मा0 न्यायालय से सम्बन्धित रिट याचिका अथवा मा0 न्यायालय का आदेश समय से प्राप्त करें तथा नियत तिथि से पूर्व उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय । नोडल अधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि वह मा0 न्यायालय में प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं/आख्याओं को समय से मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रेषित करायेगा तथा समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करायेगा ।

(3)मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में नोडल अधिकारी के आदेशों की यदि जनपद का कोई अधिकारी/कर्मचारी अवहेलना करता है अथवा नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान नहीं करता है तो जनपद प्रभारी का यह दायित्व होगा कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रत्येक 15 दिन पर मा0 न्यायालय के समस्त प्रकरणों की

समीक्षा करेंगे तथा अपने कार्यालय में जो भी रजिस्टर मा0 न्यायालय सम्बन्धी हों उनको प्रत्येक माह में एक बाद परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित करेंगे। प्रत्येक निरीक्षण में जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक इस सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी भी अंकित करेंगे। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय स्तर पर किसी भी जनपद/परिक्षेत्र/जोन से रिट/अवमानना सम्बन्धी प्रकरण के रख-रखाव हेतु रजिस्टर को मँगाकर समय-समय पर देखा जायेगा ।

(4)मा0 न्यायालयों में विधिक कार्य हेतु शासकीय अधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय स्थापित हैं तथा जब भी किसी मामले में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जाता है तो प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी को संगत अभिलेखों सहित भेजा जाय जो शासकीय अधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सहयोग प्रदान करें। इसी प्रकार मा0 न्यायालय में यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये जाते हैं तो वह अधिकारी/कर्मचारी प्रत्येक दशा में नियत तिथि व समय पर मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कोई भी प्रतिकूल/अपरिहार्य परिस्थित न हो तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने पर्यवेक्षक अधिकारी के माध्यम से नियत समय से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से मा0 न्यायालय को अवगत न करा दिया जाय।

(5)प्रतिशपथ पत्र तैयार कराने हेतु सम्पूर्ण सूचनाएँ/आपराधिक इतिहास जिनमें किसी भी प्रकार से भिन्नता न हो के साथ भिज्ञ अधिकारी को प्रतिशपथ पत्र तैयार कराने हेतु भेजा जाय। भविष्य में यदि मेरे संज्ञान में यह तथ्य आता है कि प्रकरण से अनभिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को मात्र औपचारिक रूप से भेजा गया है तो सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

(6)पीड़िता/गवाहों को अविधिक रूप से निरूद्ध न किया जाय तथा विवेचना के सम्बन्ध में उनके जो भी सहयोग अपेक्षित हो उनके विधिक अभिभावक के माध्यम से बुलाकर ही सहयोग प्राप्त किया जाय ।

(7)परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने निकट पर्यवेक्षण में करायें और किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता परिलक्षित होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायेंगे ।

(8)जोनल पुलिस महानिरीक्षक मा0 न्यायालय के प्रकरणों की नियमित मासिक समीक्षा करेंगे और इस मुख्यालय में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में मा0 न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रकरणों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को ब्रीफ कर समय से अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ।

4- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा भविष्य में मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन किये जाने में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही कदापि न बरती जाय ।

12.11.16

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक(अपराध),मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का नियमित अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें।

.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर मा0 न्यायालयों में व्यक्तिगत उपस्थिति के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसे प्रकरणों में कोई शिथिलता परिलक्षित न हो ।

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।